कार्यालय पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी

प्रेस नोट

दिनांक-21.12.2024

विषय:- नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने के मामले में वांछित अभियुक्त दीपक चौहान को थाना चोलापुर पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया।

श्रीमान पुलिस आयुक्त वाराणसी द्वारा गुमशुदा/अपहृता की बरामदगी तथा वांछित/फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, श्रीमान पुलिस उपायुक्त वरुणा ज़ोन के निर्देशन मे, श्रीमान अपर पुलिस उपायुक्त वरुणा ज़ोन के पर्यवेक्षण में व श्रीमान सहायक पुलिस आयुक्त सारनाथ के कुशल नेतृत्व में थाना चोलापुर पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0- 385/2024 धारा 137(2)/ 87/ 64 (2)m / 65(1) बीएनएस व 5(L)/6 पाक्सो एक्ट थाना चोलापुर कमिश्नरेट वाराणसी से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त दीपक चौहान पुत्र चन्द्रभान चौहान निवासी अरखपुर थाना बिरनो जनपद गाजीपुर को दिनांक-21.12.2024 को समय करीब 10.45 बजे महमूदपुर हाइवे थाना चोलापुर के पास से गिरफ्तार किया गया। उक्त के सम्बन्ध में थाना चोलापुर पुलिस द्वारा अग्रेतर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

उल्लेखनीय है कि मुकदमा उपरोक्त से संबंधित नाबालिग अपहृता/पीड़िता, उम्र करीब 13 वर्ष को थाना चोलापुर पुलिस द्वारा दिनांक- 15/12/2024 को सकुशल बरामद किया जा चुका है।

घटना का विवरण- दिनांक 24.11.2024 को वादी मुकदमा द्वारा अपनी 13 वर्षीय पुत्री घर से स्कूल जाने के लिये निकली और वापस नहीं आयी, के सम्बन्ध में लिखित प्रा.पत्र दिया गया, जिसके आधार पर थाना चोलापुर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। जिसकी विवेचना उ0नि0 आदित्य सेन सिंह द्वारा सम्पादित की जा रही।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

दीपक चौहान पुत्र चन्द्रभान चौहान निवासी अरखपुर थाना बिरनो जनपद गाजीपुर उम्र 20 वर्ष।

गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समय-

महमूदपुर हाइवे थाना चोलापुर कमिश्नरेट वाराणसी से, दिनांक-21.12.2024 को समय करीब 10.45 बजे।

आपराधिक इतिहास-

1- मु0अ0सं0- 385/2024 धारा 137(2)/ 87/ 64 (2)m / 65(1) बीएनएस व 5(L)/6 पाक्सो एक्ट थाना चोलापुर कमिश्नरेट वाराणसी।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 आदित्य सेन सिंह, का0 देशनाथ सिंह थाना चोलापुर कमिश्नरेट वाराणसी।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त
वरुणा जोन, कमिश्नरेट वाराणसी।